भारत संघ व अन्य

बनाम

अदानी एक्सपोर्ट लि. और अन्य

12 नवंबर, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं एस.एच. कपाड़िया जेजे.]

सीमा शुल्क अधिनियम, धारा 129ई/विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, धारा 49(3) व 49(4)/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973; धारा 50:

विदेशी आयातीत माल के गलत विवरण की घोषणा एवं अधिक बिल बनाकर विदेशी मुद्रा का दुरूपयोग-कारण बताओ नोटिस-संबंधित विभाग ने प्राप्तकर्ता के खिलाफ शास्ति अधिरोपित की-नोटिस प्राप्तकर्ता द्वारा अपील की गई एवं शास्ति को पूर्व जमा की छूट बाबत् आवेदन किया गया-जिसे विदेशी मुद्रा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दिया गया - चुनौती दी गई - उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए मामले को निर्धारण प्राधिकारी को भेजा-अपील में निर्धारित किया कि अपील विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के समक्ष विचाराधीन थी - उच्च न्यायालय को मामले के गुण-दोष पर जाना और मामले को निर्धारण प्राधिकारी के पास भेजना उचित नहीं था - जैसा कि अधिकरण ने पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर परिणामिक आदेश पारित कर दिया है - आक्षेपित आदेश और अधिकरण द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया गया है - और अधिकरण को पूर्व-जमा पर जोर दिए बिना नए सिरे से अपील पर सुनवाई के निर्देश जारी किए गए।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के कुछ प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए राजस्व द्वारा उत्तरदाताओं और अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। बाद में निर्धारण प्राधिकारी आदेश पारित किए। जिसे उत्तरदाताओं ने सीमा शुल्क उत्पाद

शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष चुनौती दी थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम] 1999 के तहत राजस्व द्वारा कारण बताओ नोटिस भी उत्तरदाताओं को दिया गया था और प्राधिकारियों ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम] 1973 के संदर्भ में आदेश पारित किए। निर्धारण प्राधिकारी ने] नोटिस-प्राप्तकर्ताओं को अन्तर्गत धारा 50 विदेशी मुद्रा अधिनियम व सपठित धारा 49(3) व 49(4) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के तहत निश्चित राशि शास्ति के रूप में अधिरोपित की। उत्तरदाता ने विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण के समक्ष अपील व एक आवेदन में शास्तियों को पूर्व जमा कराने की छूट के लिए व न्याय निर्णय की शुद्धता को लेकर प्रस्तुत किया। उत्तरदाता का आवेदन अधिकरण द्वारा अपास्त कर दिया गया। जिससे पीड़ित उत्तरदाता ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की थी- उच्च न्यायालय ने निर्धारण प्राधिकारी के आदेश को अपास्त कर प्रकरण निर्धारण प्राधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। जिसको लेकर यह सिविल अपील संस्थित हुई।

अपीलकर्ता-भारत संघ ने यह तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने जब स्वयं देखा कि प्राथमिक चुनौती अधिकरण द्वारा पूर्व जमा के संबंध में पारित आदेश को लेकर उच्च न्यायालय में की गई थी। हालाँकि निर्णय की गुणात्मकता के संबंध में भी कुछ आधार लिए गए थे उच्च न्यायालय को उन पर विचार नहीं करना चाहिए था और उन मामलों को अधिकरण द्वारा निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए था।

उत्तरदाता-निर्धारिती ने अपील अधिकरण (सीईएसटीएटी) द्वारा पारित एक आदेश जो उत्तरदाताओं-नोटिस प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में था पहले ही प्रस्तुत किया था। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा मामले को निर्णायक प्राधिकारी को सौंपना उचित था।

अपील का निस्तारण करते हुए यह निर्धारित किया किः

1.1 यह विवाद का विषय नहीं है कि उत्तरदाताओं ने अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है और उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं में प्राथमिक चुनौती पूर्व-जमा के आदेश के संबंध में थी, इसलिए उच्च न्यायालय के लिए गुण-दोष पर गौर करना और अपने विचार व्यक्त करना और उसके बाद मामले को अधिकरण को भेजना उचित नहीं था। ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाने के लिए उपलब्ध नहीं थी। [पैरा 8] [978-जी-एच]

1.2 अधिकरण ने पूर्व जमा की छूट के लिए की गई प्रार्थना को अस्वीकार करते समय प्रासंगिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। जब उपरोक्त आवेदनों का निस्तारण किया जावे तब तीन बिन्दूओं पर केन्द्रित रहना चाहिए। (ए) प्रथम दृष्टया मामला (बी) सुविधा का संतुलन और (सी) अपूरणीय क्षति। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से पाया कि उक्त तीनों बिन्दू उत्तरदाताओं द्वारा प्रमाणित किए गए थे। यहां तक कि जब अधिकरण पूर्ण या आंशिक स्थगन देने का निर्णय लेता है तो उसे ऐसी शर्तें लगानी पड़ती हैं जो राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 129ई के तहत यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। आम तौर पर इस न्यायालय ने विवादित आदेश को रद्द करके प्रतिवादी निर्धारिती को अधिकरण के आदेशों का पालन करने के लिए कहा होगा। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकरण ने पहले ही उच्च न्यायालय के दिनांक 18-08-2006 के आदेश के आधार पर परिणामी आदेश पारित कर दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और अधिकरण द्वारा पारित परिणामी आदेश को रद्द कर दिया गया है। अधिकरण को पूर्व-जमा के विषय पर जोर दिए बिना अपील को विचारण में लेने का निर्देश दिया गया है। पक्षों को बिना किसी नोटिस की आवश्यकता के अधिकरण के समक्ष दिनांक 03-12-2007 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। [पैरा9] [979-ए-बी-सी-डी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 5152/2007।

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के 2000/2006 एस.सी.ए. संख्या 1569, 1570 में पारित किये गये अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 5.4.2006 से।

ए.सुभा राव, डॉ शम्सुद्दीन, बी.के. प्रसाद और टी. श्रीनिवास मूर्ति- अपीलकर्ताओं के लिए।

दुष्यन्त दवे, तरूण गुलाटी, गौरव सिंह, श्वेता वर्मा, बीना गुप्ता, प्रवीण कुमार और जयवीर शार्गिल - उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अपील स्वीकृत।

2. इस अपील में एकल विद्वान न्यायाधीश] गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें उन्होंने विदेशी मुद्रा अपील अधिकरण (संक्षेप में अधिकरण) के 04.01.2006 के आदेश अपील संख्या 199, 500 और 501 वर्ष 2006 में जिसमें पूर्व-जमा कराने के आदेश के लिए आवेदन खारिज कर दिया था।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

विदेशी आयातीत माल के विवरण व वर्णन की गलत घोषणा एवं मूल्यांकन को लेकर जो अधिक बिलिंग के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग होने के आधार पर सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन पाए जाने पर उत्तरदाता को प्राथमिक तौर पर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और प्रस्तुतीकरण और उत्तरों पर विचार करने पर, मूल आदेश सीमा शुल्क कमिश्नर (जिसे बाद में आयुक्त के रूप में संबोधित) द्वारा पारित किए गए थे। मूल प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को उत्तरदाताओं द्वारा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण, बैंगलोर (संक्षेप में सीईएसटीएटी) के समक्ष चुनौती दी गई थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (संक्षेप में प्रबंधन अधिनियमन) के तहत भी

नोटिस जारी किए गए थे। अतिरिक्त महानिदेशक ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (संक्षेप में विनियमन अधिनियम) के संदर्भ में आदेश पारित किया जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 (संक्षेप में प्रबंधन अधिनियमन) के प्रावधानों के साथ निरसित किये जा चुके हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाबों और प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद यह आदेश पारित किया गया। निर्धारण प्राधिकारी ने नोटिस प्राप्तकर्ताओं को आरोपों का दोषी पाया और प्रबंधन अधिनियम की धारा 49 (3) और 49 (4) के साथ पठित विनियमन अधिनियम की धारा 50 के तहत प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित शास्तिया अधिरोपित की;

(ए) मैसर्स वैशाल इम्पेक्स के मालिक श्री धर्मेश पी. शाह पर 7,50,00,000/- रुपये (केवल सात करोड़ पचास लाख रुपये) का शास्ति। (नोटिस प्राप्तकर्ता संख्या 1)।

(बी) मैसर्स अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड पर रु. 4,00,000/- (केवल चार करोड़ रुपये) का शास्ति। (नोटिस प्राप्तकर्ता संख्या 2)।

(सी) मैसर्स अदानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक श्री राजेश अदानी पर रु. 2,00,00,000/- (केवल दो करोड़ रुपये) का शास्ति। (नोटिस प्राप्तकर्ता संख्या 3)।

4. निर्धारण आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाते हुए, अधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई। अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र शास्ति राशि जमा कराने की छूट के लिए दाखिल किया गया। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है। दिनांक 04.01.2006 के आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।

5. अधिकरण का मानना था कि उत्तरदाता का न तो कोई प्रथम दृष्टया मामला है और ना ही ऐसी आर्थिक तंगी प्रमाणित की गई थी जिससे उत्तरदाता को पूर्व-

जमा कराने से छूट दी जाए। गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें प्राथमिक रूप से उक्त आदेश पर सवाल उठाया गया था और साथ ही कार्यवाही की वैधता पर भी सवाल उठाया गया था। उच्च न्यायालय ने न केवल पूर्व-जमा के आदेश से संबंधित आक्षेपित आदेश को निपटाया, बल्कि निर्धारण आदेश के गुणावगुण पर भी विचार किया। इसमें निर्धारण की कार्यवाही के गुणावगुण पर विस्तार से चर्चा की, हालांकि यह स्वतः प्रकट है कि विशेष दीवानी आवेदन पूर्व-जमा के संबंध में हुए आक्षेपित आदेश की शुद्धता के संबंध में प्रस्तुत किया गया था। उच्च न्यायालय ने न केवल यह माना कि शास्ति जमा करने का निर्देश देने वाला आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था, बल्कि यह भी कहा कि शास्ति निर्धारण का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। इस तथ्य को नजरंअदाज करते हुए कि अपील, अधिकरण के समक्ष लम्बित थी। उच्च न्यायालय ने निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर दिया और मामले को निर्धारण प्राधिकारी अर्थात् अतिरिक्त महानिदेशक को भेज दिया।

6. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने स्वयं देखा है कि प्राथमिक चुनौती अधिकरण द्वारा पूर्व-जमा से संबंधित आदेश को लेकर दी गई थी, हालांकि निर्धारण की गुणवत्ता के संबंध में कुछ आधार लिए गए थे। उच्च न्यायालय को उन पर विचार नहीं करना चाहिए था और उन मामलों को अधिकरण के निस्तारण के लिए छोड़ देना चाहिए था। ऐसा करने के बजाए उच्च न्यायालय ने अन्य मामलों में सीईएसटीएटी द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों का हवाला देते हुए आदेश को अपास्त कर दिया। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उन मामलों में सीईएसटीएटी द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया

गया था और अपील स्वीकार कर ली गई है। इस मामले को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7. दूसरी ओर, उत्तरदाता के विद्वान वकील ने कहा कि सीईएसटीएटी द्वारा पहले एक आदेश पारित किया गया था जो उत्तरदाताओं-नोटिस प्राप्तकर्ताओं के पक्ष में था। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा मामले को निर्णायक प्राधिकारी को सौंपना उचित था।

8. यह विवाद में नहीं है कि उत्तरदाताओं ने अधिकरण के समक्ष अपील दायर की है। जैसा कि उच्च न्यायालय ने पहले भी यह देखा है कि पूर्व-जमा के संबंध में किए गए आदेशों को लेकर रिट याचिका में प्रारम्भिक चुनौती दी गई है। इस पर विचार करते समय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आदेश के गुण-दोषों पर गौर करना और अपने विचार व्यक्त करना और उसके बाद मामले को अधिकरण को भेजना उचित नहीं था। ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनानी थी।

9. अधिकरण ने पूर्व-जमा के आदेश के लिए प्रार्थना को खारिज करते हुए प्रासंगिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। ऐसे प्रार्थनापत्रों में निस्तारण के दौरान तीन पहलूओं पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए- (ए) प्रथम दृष्टया मामला (बी) सुविधा का संतुलन और (सी) अपूरणीय क्षति। अधिकरण ने स्पष्ट रूप से पाया कि उक्त कारक उत्तरदाताओं द्वारा स्थापित किए गए थे। यहां तक कि जब अधिकरण पूर्ण या आंशिक स्थगन देने का फैसला करता है तो उसे ऐसी शर्तें लगानी पड़ती हैं जो राजस्व के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकती हैं। अधिनियम की धारा 129ई के तहत यह एक अनिवार्य आवश्यकता है। सामान्यतः इसी आधार पर हमने आक्षेपित आदेश को अपास्त करते हुए निर्धारिती से अधिकरण के आदेशों की पालना करने के लिए कहा होगा। लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अधिकरण ने पहले ही 18.08.2006 को उच्च न्यायालय

के आदेश के आधार पर परिणामी आदेश पारित कर दिया है, हम निम्नलिखित निर्देशों के साथ अपील का निपटान करते हैं;

(ए) उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश एवं उसकी अनुपालना में अधिकरण द्वारा 18.8.2006 को पारित परिणामी आदेश अपास्त किया जाता है।

(बी) पार्टियों को 03.12.2007 को बिना किसी अतिरिक्त सूचना के ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

(सी) अधिकरण पूर्व-जमा पर जोर दिए बिना उनकी सुनवाई करके अपील पर विचार करेगा

(ई) अपीलों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

(एफ) उत्तरदाता को अधिकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर, अपील के अधिकार के अधीन, ट्रिब्यूनल द्वारा कायम की गई मांगों, यदि कोई हो, को समाप्त करने के लिए निर्णायक प्राधिकारी के समक्ष एक प्रतिवेदन दायर करना होगा। यह निश्चित रूप से अपील में पारित अंतरिम सुरक्षा के किसी भी आदेश के अधीन होगा।

10. तदनुसार, अपील किसी पक्ष पर कोई कोस्ट अधिरोपित किए बिना निर्धारित की जाती है।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वरूण तलवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।